राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 484/2025

अशोक कुमार वंशीवाल

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, सचिवालय, जयपुर।
4. जिला सांख्यिकी अधिकारी, टोंक।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 17.01.2025
आदेश की दिनांक : 31.01.2025

अपीलार्थी की ओर से : श्री विनोद कुमार शर्मा, अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के अधीन नियमित बेसिक पर नियुक्त किया गया था और अपीलार्थी का कार्य काफी संतोषजनक है और वर्तमान अपीलार्थी के खिलाफ कोई शिकायत मौजूद नहीं है। अपीलार्थी ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, पंचायत समिति टोंक जिला टोंक के पद पर कार्यरत है तथा दिनांक 14.1.2025 को जारी स्थानांतरण आदेश के तहत वर्तमान में अपीलार्थी को पंचायत समिति टोंक जिला टोंक से पंचायत समिति पीपलू जिला टोंक में रिक्त पद पर स्थानांतरित किया गया है तथा वर्तमान में अपीलार्थी के स्थान पर किसी को भी पदस्थापित नहीं किया गया है। (अनुलग्नक–1) अपीलार्थी की जन्म तिथि 18.7.1965 है और वह जुलाई 2025 के महीने में सेवा से सेवानिवृत्त होने जा रहा है और वर्तमान में अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति के लिए केवल 6 महीने शेष रह गए हैं, इसके बावजूद दिनांक 14.1.2025 के आलौच्य

स्थानांतरण आदेश के द्वारा अपीलार्थी को बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के पंचायत समिति टोंक से पंचायत समिति पीपलू में स्थानांतरित कर दिया गया है। (अनुलग्नक–2) अपीलार्थी गंभीर गर्मी की बीमारी से पीड़ित है और हाल ही में इटरनल हॉस्पिटल, जयपुर में बाईपास सर्जरी हुई है और नियमित उपचार चल रहा है और डॉक्टर ने यात्रा से बचने की सलाह दी है, लेकिन इस तथ्य पर विचार किए बिना और प्रशासनिक आवश्यकता के बिना, अपीलार्थी को स्थानांतरित कर दिया गया है। (अनुलग्नक–3) अपीलार्थी के स्थान पर किसी अन्य को नियुक्त कर दिया गया है, अतः यह स्पष्ट है कि दिनांक 14.1.2025 का आरोपित स्थानांतरण आदेश पूरी तरह से अवैध है तथा प्रतिवादी विभाग द्वारा बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के पारित किया गया है। पुष्पा मेहता बनाम राजस्थान राज्य के मामले में, जिसमें राजस्थान उच्च न्यायालय की माननीय खंडपीठ ने माना है कि, यदि दो वर्ष शेष रह गए हैं, तो कर्मचारी को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है लेकिन वर्तमान मामले में, केवल 6 महीने शेष हैं, इसके बावजूद तथ्य की पुष्टि किए बिना और माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय पर विचार किए बिना, दिनांक 14.1.2025 के आक्षेपित स्थानांतरण आदेश के तहत, वर्तमान अपीलार्थी को स्थानांतरित कर दिया गया है,

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आलौच्य आदेश दिनांक 14.1.2025 को अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को सभी परिणामी लाभों के साथ ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी के पद पर पंचायत समिति टोंक जिला टोंक में ही निरंतर कार्यरत रखा जावे।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी अपील में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है। अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/ दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी

को दे। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिकरण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को किसी विशिष्ट तरीके से निस्तारित करने के संबंध में कोई आदेश नहीं दे रहा है।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य